संख्या-4/2016/एस-470/दस-2016-33(3)/2016

प्रेषक,

सुधेश कुमार ओझा,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
उ0प्र0 प्रशासन एवं प्रबन्धन अकादमी,
लखनऊ।

वित्त (सेवायें) अनुभाग-2 लखनऊः: दिनांक :: 12 अप्रैल, 2016

विषय- ग्रेड वेतन के अनुरूप पदनाम प्रयोग किये जाने विषयक ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-कैम्प/3318, दिनॉक 29-1-2016 एवं पत्र संख्या-आई-470डी/1508, दिनॉक 09-03-2016 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से उ0प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा संवर्ग के ग्रेड पे 6600 के अधिकारी श्री मनीष शुक्ल, के लिए वित्त अधिकारी का पदनाम प्रयोग करते हुए उनकी वर्ष 2015-16 की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियॉ उपलब्ध करायी गयी है।

2- अवगत कराना है कि पदो के चिन्हांकन विषयक वित्त (सेवायें) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या- एस-2-3128-दस-2010-33(63)/98, दिनॉक 14 फरवरी, 2011 में उ0प्र0 प्रशासन एवं प्रबन्धन अकादमी हेतु उ0प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा संवर्ग समूह-ख के अन्तर्गत ग्रेड वेतन रू0 5400 में वित्त एवं लेखाधिकारी का पद चिन्हांकित है। इसके अतिरिक्त उ0प्र0 प्रशासन एवं प्रबन्धन अकादमी हेतु राजपत्रित पदों के सृजन विषयक कार्मिक अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-2295/का-3-2001-24/12/2001, दिनॉक 11-01-2002 (छाया प्रति संलग्न) में भी अकादमी हेतु वित्त एवं लेखाधिकारी का 01 पद, अपुनरीक्षित वेतनमान रू0 8000-275-13500 में सृजित है, जबकि पदों के चिन्हांकन विषयक समय-समय पर निर्गत वित्त (सेवायें) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या- एस-2-3128-दस-2010-33(63)/98, दिनॉक 14 फरवरी, 2011 सपठित शासनादेश संख्या- एस-2-581-दस-2014-33(109)/2013, दिनॉक 10-4-2014, शासनादेश संख्या- एस-2-955-दस-2014-33(63)/98टी0सी0, दिनॉक 10-6-2014 एवं शासनादेश संख्या- एस-2-969-दस-2014-33(63)/98टी0सी0, दिनॉक 10-6-2014 में उ0प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा संवर्ग समूह-क के अधिकारियों हेतु वित्त अधिकारी का पद ग्रेड पे रू0 10000 एवं ग्रेड पे रू0 8900 में सृजित/चिन्हांकित है।

3- उक्त उल्लिखित शासनादेशों में विहित व्यवस्था / पदनाम के विपरीत उ0प्र0 प्रशासन एवं प्रबन्धन अकादमी में तैनात अधिकारियों द्वारा लगातार वित्त अधिकारी का पद नाम प्रयोग जा रहा है, जिससे अनायास ही वरिष्ठ अधिकारी होने का आभास होता है, जो न तो नियमानुसार है और न ही प्रशासनिक दृष्टिकोण से उचित है।

4- अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (सेवायें) अनुभाग-2 के चिन्हांकन विषयक शासनादेश संख्या- एस-2-3128-दस-2010-33(63)/98, दिनॉक 14 फरवरी, 2011 एवं उ0प्र0 प्रशासन एवं प्रबन्धन अकादमी हेतु राजपत्रित पदों के सृजन विषयक कार्मिक अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-2295/का-3-2001-24/12/2001, दिनॉक 11-01-2002 में अकादमी हेतु सृजित/चिन्हित वित्त एवं लेखाधिकारी का पदनाम ही प्रयोग किया जाय, जिससे कि संवर्गीय पदनाम में एक रूपता की स्थिति बनी रहे एवं अनायास ही किसी कनिष्ठ अधिकारी के वरिष्ठ होने का आभास न हो।

http://shasanadesh.up.nic.in

5- कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही तत्काल सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नक- यथोक्त।

भवदीय,

(सुधेश कुमार ओझा)
विशेष सचिव।

<u>पत्रांक-4/2016/एस-2-470(1)/दस-2016, तददिनांक।</u>

प्रतिलिपि- कार्मिक अनुभाग-3 को उ0प्र0 प्रशासन एवं प्रबन्धन अकादमी हेतु सृजित अस्थायी राजपत्रित पदों की निरन्तरता विषयक उनके शासनादेश संख्या-07/2016/427/47-का-3-2016-24/12/2001, दिनांक 15-03-2016 के क्रम में उपरोक्तानुसार संशोधन/आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने हेतु।

2- निदेशक, कोषागार उ0प्र0 लखनऊ को उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने हेतु।

3- श्री मनीष शुक्ल, वित्त एवं लेखाधिकारी, उ0प्र0 प्रशासन एवं प्रबन्धन अकादमी, लखनऊ को उपरोक्तानुसार वित्त एवं लेखाधिकारी का पदनाम प्रयोग किये जाने के निर्देश सहित प्रेषित।

आज्ञा से,

(शिव गोपाल सिंह)
अनु सचिव।

http://Shasanadesh.up.nic.in